उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975

(परिषदीय अधिसूचना संख्या 212-जी०एम०/रा०वि०प०-3-15 जी०एम०/74 दिनांक जून 9, 1976 द्वारा अधिसूचित एवं अधिसूचना संख्या 1235-जी०ई (2) रा० वि०प०-3 (17) जी ई (2) 1976 दिनांक अप्रैल 6, 1978 अधिसूचना सं० 296-एफ/80 दिनांक अप्रैल 8, 1981 तथा कार्यालय ज्ञाप सं० 5357-डब्लू०सी०/रा०वि०प०-एल० ए० 19/81-25-एफ/81 दिनांक 16 जुलाई 1981 द्वारा संशोधित)

विद्युत (सम्पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं :–

१– संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 कहलायेगी। (2) यह 20 जून, 1974 से प्रवृत्त समझी जायेगी। जून 1974 से पहले के मामलों पर अध्यक्ष को यह विशेष अधिकार होगा कि वह प्राविधानों से अनावरित (अनकवर्ड) मामलों को अपने स्तर से निस्तारित कर सकें।

२– परिभाषाएं :–

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में···

(क) 'परिषदीय सेवक' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे परिषदीय सेवक से है जो—

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थाई था, या

(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था, या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है ।

स्पष्टीकरण :—

'नियमित रूप से नियुक्त' का तात्पर्य, यथास्थिति पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किए जाने से है ।

(ख) 'मृत परिषदीय सेवक', का तात्पर्य ऐसे परिषदीय सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जावे,

(ग) 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत मृत परिषदीय सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :—

(1) पत्नी या पति

(2) पुत्र जिसका तात्पर्य केवल हिन्दू कर्मचारियों के मामले में दत्तक पुत्र से भी होगा ।

(3) अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ ।

(घ) 'कार्यालय का प्रधान' का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था ।

३— नियमावली का लागू किया जाना—

यह नियमावली परिषद के अन्तर्गत जूनियर इन्जीनियर तथा उसके समकक्ष से नीचे के पदों पर ही लागू होगी ।

संशोधित दिनांक ६-४-७८—

यह नियमावली परिषद के अन्तर्गत समस्त ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु लागू होगी, जिन पर सीधी भरती की जाती है ।

४— इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव—

इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा ।

५— मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती—

यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी परिषदीय सेवक की सेवा-काल में मृत्यु हो जाये तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्यविद्युत परिषद के आधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर, भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, परिषदीय सेवा में जूनियर इन्जीनियर तथा उनके समकक्ष से नीचे के पदों पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिए निहित शैक्षिक योग्यता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी परिषदीय सेवा के लिए अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशक्य उसी इकाई में दी जानी चाहिए जिसमें मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवा-योजित था।

संशोधित दिनांक ६-४-७८—

यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी परिषदीय सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाये तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वमित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर, भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, परिषदीय सेवा में ऐसे पद पर जिस पर सीधी भर्ती की जाती है सेवायोजन प्रदान किया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिए निहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से परिषदीय सेवा के लिए अर्ह हो।

६— सेवायोजन के लिये आवेदन पत्र की विषयवस्तु—

इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र जिस पर नियुक्ति अभिलाषित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहाँ मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन-पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी।

[क] मृत परिषदीय सेवक की मृत्यु का दिनांक वह इकाई जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था।

[ख] मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम उनकी आयु तथा अन्य ब्यौरे विशेषतया उनके विवाह सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्यौरे,

[ग] कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्यौरा और

[घ] आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें, यदि कोई हों ।

७— प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिम सदस्य सेवायोजन चाहते हों—

यदि मृत परिषदीय सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा । समस्त कुटुम्ब विशेषतया उसके विधवा तथा आवश्यक सदस्यों के कल्याण के निमित उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा ।

८— आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता—

[1] इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये ।

[2] चयन के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से यथालिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा ।

[3] इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्ति के प्रति की जावेगी ।

९— सामान्य अर्हताओं के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का सामाधान—

किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि :—

[क] अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि कि वह परिषदीय सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है,

टिप्पणी :— संघ सरकार का किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधान—याने उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जायेंगे ।

[ख] वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिसके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी ।

[ग] पुरुष अभ्यर्थी की दशा में उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हो और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में—उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो ।

१०— कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—

राज्य सरकार अथवा परिषद इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन मे किसी कठिनाई को [जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एक मात्र निर्णायक होगी] दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे ।

संशोधित दिनांक ६-४-७८—

परिषद इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में कठिनाई को [जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक होगी] दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे ।

सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की परिषद सेवा में भर्ती की व्यवस्था

संख्या 212-जी०एम०/रा०वि०प०-3-15 जी०एम०/74 दिनांक/जून 30, 1976

विद्युत (सम्पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सेवा काल में मृत परिषदीय सेवाओं के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975

1—संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 कहलायेगी ।

(2) यह 20 जून, 1974 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

2—परिभाषायें :—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :—

(क) 'परिषदीय सेवक' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे परिषदीय सेवक से है जो :—

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था, या
(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था या
(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है, तथापि ऐसे सेवायोजन में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण—नियमित रूप से नियुक्त का तात्पर्य, यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिये अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है।

(ख) 'मृत परिषदीय सेवक' का तात्पर्य ऐसे परिषद सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय।
(ग) 'कुटुम्ब' के अंतर्गत मृत परिषदीय सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :—

(1) पत्नी या पति
(2) पुत्र
(3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।
(घ) 'कार्यालय का प्रधान' का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

3—नियमावली का लागू किया जाना—यह नियमावली परिषद के अंतर्गत जूनियर इन्जीनियर तथा उसके समकक्ष से नीचे के पदों पर ही लागू होगी।

4—इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह नियमावली तथा तद्धीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

5—मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती—यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी परिषदीय सेवक की सेवा-काल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद के अधीन पहले से सवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर, भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, परिषदीय सेवा में जूनियर इन्जीनियर तथा उसके समकक्ष से नीचे के पदों पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी परिषदीय सेवा

के लिये अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशक्य उसी इकाई में दी जानी चाहिये जिसमें मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

6—सेवायोजन के लिये आवेदन पत्र की विषयवस्तु—इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र जिस पर नियुक्ति अभिलाषित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहाँ मृत परिषदीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन-पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी :—

(क) मृत परिषदीय सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह इकाई जहां और वह पद जिस पर अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था।

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्योरे,

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा, और

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें, यदि कोई हों।

7—प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजना चाहते हों—यदि मृत परिषदीय सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवा-योजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिये व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब विशेषतया उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

8—आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता—

(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यार्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

(2) चयन के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से, यथालिखित परीक्षा या चयन समीति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा। किन्तु अभ्यार्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाए रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यार्थी का साक्षात्कार करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्ति के प्रति की जायेगी।

9—सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान—किसी अभ्यार्थी को नियुक्ति करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि :—

(क) अभ्यार्थी का चरित्र ऐसा है कि वह परिषदीय सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

टिप्पणी :—सब सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम या राज्य विद्युत परिषद द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेंगे ।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिसके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यार्थी से उस मामले के लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी ।

(ग) पुरुष अभ्यार्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हो और किसी महिला अभ्यार्थी की दशा में उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

10—राज्य सरकार अथवा परिषद इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक होगी) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे ।

251 (1)

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ

[illegible]/विनि-23/राविप-93-7विनि/92 दिनांक : अगस्त 30, 1993

30.8.93

कार्यालय ज्ञाप

परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं0-225-विनि-23/राविप-92-4विनि/92, दिनांक 16.12.92 में निहित आदेशों के अतिक्रमण में यह निर्णय लिया है कि :-

(1) - राज्य विद्युत परिषद की सेवाओं के राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्गों में प्रारम्भिक नियुक्तियों हेतु सभी चयन विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से किया जायेगा।

(2) राज्य विद्युत परिषद की सेवाओं के सभी संवर्गों में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में चयन/नियुक्ति सक्षम अधिकारी/विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जा रही विद्यमान व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

2. उक्त उप-कंडिका (1) में उल्लिखित आदेश सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती से सम्बन्धित प्रकरणों में लागू नहीं होंगे। उनके मामलों का निस्तारण अधोलिखित व्यवस्था के आधीन किया जायेगा।

(1) सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी अपने नियंत्रक मुख्य अभियन्ता से लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही करेंगे।

(1) समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/मुख्य परियोजना प्रबन्धक/मुख्य लेखाधिकारी सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती से सम्बन्धित त्रैमासिक विवरण जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एवं अप्रैल माह की 15 तारीख तक मुख्य कार्मिक अधिकारी, राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ को प्रस्तुत करेंगे।

EF ENGINEER ...
5635 ... 14.9.93

परिषद की आज्ञा से,

मारकण्डेय सिंह
(मारकण्डेय सिंह)
सचिव

सं0-251(1)(1)/विनि-23/राविप-93-7विनि/92, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सभापति, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/11, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
3. महाप्रबन्धक, कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, कानपुर।
4. अपर सचिव-1/11/111, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
5. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
6. मुख्य [illegible], उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
7. मुख्य कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
8. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
9. [illegible] अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।

Return to me after Diary.
31/8/99

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
14– अशोक मार्ग: शक्ति भवन: लखनऊ

संख्या :3369/रा०विप/औस–17/99–27एफ/80 दिनांक 6.8.1999

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 के वर्तमान नियम 8 के उपनियम (3), जो स्तम्भ एक में दर्शित है, को संशोधित कर स्तम्भ दो के अनुसार व्यवस्था की जाती है :

स्तम्भ "एक" वर्तमान नियम 8 का उप-नियम (3)	स्तम्भ "दो" संशोधित नियम 8 का उपनियम (3)
इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी।	इस नियमावली के अधीन परिषद में सीधी भर्ती के श्रेणी (तीन) (अवर अभियन्ता व समकक्ष पद को छोड़कर) के निम्नतम पद पर व श्रेणी 4 में कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद (Supernumary Post) के प्रति की जायेगी जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

सचिव

संख्या 3369(1)/रा०विप–औस–17/99–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता (स्तर I व II) उ०प्र०रा०वि०परिषद।
2. समस्त नियंत्रक, लेखा शाखा, उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद।
3. निदेशक, आन्तरिक लेखा सम्परीक्षा, उ०प्र०रा०वि०परिषद।
4. मु. अभियन्ता जाँच समिति, उ०प्र०रा०वि०परिषद, लखनऊ।
5. मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र०रा०वि०परिषद।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०रा०वि०परिषद।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद।
9. समस्त अधिकारीगण, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ०प्र०रा०वि०परिषद।
10. समस्त अनुभाग, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ०प्र०रा०विद्युत परिषद।

आज्ञा से,

(एस० आर० जाटव)
मुख्य कार्मिक अधिकारी

7875 — 31-8-99

510

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

सं0- 3880-औस-17/पाकालि/2000-27एफ/80 ~~दिन 22~~ दिसम्बर, 2000

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती परिषद/पावर कारपोरेशन के सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0- ~~645~~ 645 औस/पाकालि/2000-27एफ/80 दिनांक 29. 3. 2000 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए कारपोरेशन ने सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् व्यवस्था प्रतिपादित की है :-

(अ) मृतक आश्रितों की नियुक्ति मात्र श्रमिक, टेक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) तथा कार्यालय सहायक (तृतीय) के पद पर की जायेगी।

(ब) उक्त नियुक्ति किये जाने के अनुमोदन के अधिकार महाप्रबन्धक को इस प्रतिबन्धाधीन प्रदान किया गया है कि वे अनुमोदित/नियुक्ति की सूचना नियमित रूप से एवं यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

(स) पूर्ववर्ती परिषद/पावर कारपोरेशन द्वारा सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 एवं समय-समय पर यथा संशोधित नियम/आदेश यथावत लागू रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल

सं0 3880-1-औस-17/पाकालि/2000 तद्दिनांक -

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- मा0 उर्जा मंत्री जी, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
2- मा0 उर्जा राज्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन के निजी सचिवगण
3- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4- निदेशक (का. एवं प्र0)/वितरण/कारपोरेट प्लानिंग/पारेषण/वित्त के निजी सचिव
5- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ0प्र0पा0का0लि0, 4-विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ।
6- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
7- समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
8- समस्त उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
9- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
10- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
11- कारपोरेशन मुख्यालय एवं लेखा संवर्ग के समस्त अधिकारीगण/अनुभाग उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
12- श्री जे0पी0 शास्त्री, उपसचिव की बैठक दिनांक 28. 11. 2000 के आईटम न0- 14(35)/2000 के संबंध में पारित संकल्प की अनुपालन आख्या के रूप

सत्य प्रति
[illegible] 27/12/2000

(एल. आर. जाटव)
उप महाप्रबन्धक (औस)

पत्रांक: 1145 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी-8/ए-7

दिनांक: 21/08/2010

कार्यालय ज्ञाप

पिटकुल- निदेशक मण्डल द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-1633/xxx(2)2004,/देहरादून, दिनांक 08.10.2004 को यथावत अंगीकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने की फलस्वरूप मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1975 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड-ग के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड प्रतिस्थापित किया जाता है।

स्तम्भ-1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ-2 अनुमोदित खण्ड
'कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होगें :- 1. पत्नी या पति 2. पुत्र 3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां	'कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होगें :- 1. पत्नी या पति 2. पुत्र 3. अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां 4. मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था

उक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगें तथा मृत सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली-1975 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक: 1145 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी-8/ए-7 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन नं0-1, वसंत विहार एनक्लेव, देहरादून।
2. निदेशक (मा0सं0/वित्त), पिटकुल, 7बी, लेन नं0-1, वसंत विहार एनक्लेव, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, परि0एवंअनु0, पिटकुल, 650-कांवली रोड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल...।
6. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन नं0-1, वसंत विहार एनक्लेव, देहरादून।
7. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, 7बी, लेन नं0-1, वसंत विहार एनक्लेव, देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल...।
9. व्यैक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

PTCUL

पत्रांकः 1296/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक : 21.09.2020

कार्यालय ज्ञाप

''उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0 217/XXX(2)/2019-55(21)2002 दिनांक 04.09.2019 के द्वारा शासन में प्रवृत्त ''उत्तरप्रदेश सेवाकाल में मृत्त सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (संशोधन) नियमावली 2019'' के विद्यमान नियम 2(ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित खण्ड को पिटकुल में प्रवृत्त ''उत्तरप्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत्त परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1975'' में अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में'' निदेशक मण्डल की दिनांक 21.07.2020 को सम्पन्न 72वीं बैठक में एजेण्डा सं0 72.16 द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया :–
The Board considered the proposal under the agenda item and after deliberation approved the same by passing the following resolution unanimously :
''निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत्त सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (संशोधन) नियमावली 2019'' जो कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0 217/XXX(2)/2019-55(21)2002 दिनांक 04.09.2019 के द्वारा पारित किया गया है को पिटकुल में अंगीकृत करने हेतु एतद्द्वारा सहमति प्रदान करते हुये पिटकुल में प्रचलित ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत्त सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपन्तरण आदेश 2002) के नियम 2(ग) का संशोधन करते हुए निम्न स्तम्भ 1 (विद्यमान खण्ड) के स्थान पर निम्न स्तम्भ 2 में प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।''

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत्त सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :– (1) पत्नी या पति (2) पुत्र (3) **अविवाहित पुत्रियाँ, विधवा पुत्रियाँ तथा तलाकशुदा पुत्रियाँ** (4) मृत्त सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत्त सरकारी सेवक अविवाहित था।	(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत्त सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :– (1) पत्नी या पति (2) पुत्र (3) **पुत्री** (4) मृत्त सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत्त सरकारी सेवक अविवाहित था।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3, तद्दिनांक
प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

21/09/2020
(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

1. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल............................।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल....................।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल...।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयगत आदेश को कारपोरेशन की वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)